राजस्थान सरकार

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (कलक्टर) सीकर

क्रमांकः–एफ.16(15)भू.रू./ग्रामीण/राजस्व/10/ **दिनांक :**

संपरिवर्तन आदेश

उप शासन सचिव,राजस्व (भूमि रूपान्तरण) विभाग,राज0जयपुर के पत्र कमांक प .2 (196) राजस्व/भू.रू./2010 दिनांक 30.8.2011 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में आवेदक **विवेक भारती निकेतन समिति, भिलूण्डा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर** के आवेदन पर आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन/नियमितिकरण किया जाता है । जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है:–

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	:	**विवेक भारती निकेतन समिति, भिलूण्डा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर**
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है	:	नही
3.	(क) संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा		
	(ख) ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	:	ग्राम भिलूण्डा ग्राम पंचायत भिलूण्डा तहसील लक्ष्मणगढ़
	(ग) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हैक्टैयर में)	:	खसरा नम्बर 31/1 रकबा 1.35 है0 एवं ख0नं0 34/1/2 रकबा 2.70 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.05 है0
	प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर में)		खसरा नम्बर 31/1 रकबा 1.35 है0 एवं ख0नं0 34/1/2 रकबा 2.70 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.05 है0 अर्थात 40,500 वर्ग मीटर
	टिप्पणी:–(अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।)	:	–
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	:	शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ
5.	संदेय प्रीमियम की दर	:	रू0 5.00 प्रति व0मी0 की दर से 40,500 व0मी0 के 2,02,500/– रू0 व निर्मित क्षेत्र 220 व0मी0 की शास्ति 220 X 20 = 4,400/– रू0 अर्थात कुल 2,06,900/–रू0
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	:	चालान नं. 172 दिनांक 13.9.10 कुल राशि 2,06,900/–रूपये
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	:	चालान नं. 172 दिनांक 13.9.10 कुल राशि 2,06,900/–रूपये में 4,400/–रूपये शास्ति के शामिल है।
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो,की जमा कराई गई राशि	:	शून्य
9.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधिन जारी किया गया है?	:	हां (220 व0मी0)
10.	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	:	इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डो के अनुसार भूमि छोडते हुए।

..........................2

Scanned with OKEN Scanner

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा :–

1. इंडियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार सडक के मध्य से भूमि छोड़कर संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी । आवेदक द्वारा आवेदित भूमि तक निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप पहुच मार्ग सुनिश्चित किया जाएगा।
2. यदि प्रार्थी राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहते है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते है तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
3. निकटस्थ नगर पालिका/स्थानीय निकाय की उप विधियों एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निर्माण कराया जा सकेगा।
4. राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक: प.6(6).राज–6/92 पार्ट/23 दिनांक 17.07.2007 की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
5. कुल भूमि का 40 प्रतिशत भू–भाग सार्वजनिक सुविधाओं के रूप में आरक्षित रखना होगा।
6. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन समहृत हो जायेगा।
7. उक्त प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा। एवं विक्रय/अन्तरण नियम 11 के अनुसार बिना प्राधिकृत अधिकारी की लिखित सहमति के नही किया जा सकेगा।
8. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
9. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज० द्वारा घोषित हरित राजस्थान अभियान के तहत विधालय कैम्पस में पेड लगाने होंगे।
10. निर्मित भवन में बरसाती पानी संग्रहण ढाचा निर्धारित मानदण्डों के अनुरुप बनाया जाएगा।

Sd/
प्राधिकृत अधिकारी
(जिला कलक्टर,सीकर)

कमांक:–एफ.16 (15)भू.रू./ग्रामीण/राजस्व/10/8584-92 दिनांक:– 24-10-2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:–

1. उप शासन सचिव,राजस्व (भूमि रुपान्तरण)विभाग,राज० जयपुर
2. संभागीय आयुक्त,जयपुर संभाग,जयपुर
3. प्रभारी अधिकारी,जिला राजस्व लेखाकार,कलेक्ट्रेट,सीकर
4. उपखण्ड अधिकारी,लक्ष्मणगढ
5. तहसीलदार,लक्ष्मणगढ
6. सरपंच,ग्राम पंचायत,गिलूण्डा, पंचायत समिति,लक्ष्मणगढ
7. विवेक भारती निकेतन समिति, गिलूण्डा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
8. रक्षी पत्रावली।

प्राधिकृत अधिकारी
(जिला कलक्टर,सीकर)

Scanned with OKEN Scanner